राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांकः एफ–1(2) रि.फे./टीआरआई/2018–19/1423. दिनांकः 12-07-2018

विज्ञप्ति

अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं सहरिया क्षेत्र के बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के मूल जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये रिसर्च फेलोशिप योजना अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ।

शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP) एवं सहरिया क्षेत्र के बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं को रिसर्च फेलोशिप योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2018-19) लिंक पर आंमत्रित करने, संस्थान द्वारा आवेदन स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.स	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियाँ
1	योजना का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि।	आवेदन प्रारम्भ हो चुका है।
2	विद्यार्थियों के द्वारा योजनाओ हेतु पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि।	20 अगस्त, 2018
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आवेदन–पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन–पत्र को (यदि कोई हो तो) विद्यार्थियों को प्रति–प्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अन्तिम तिथि।	15 सितम्बर, 2018

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण विज्ञापन/दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक

राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अशोक नगर मेन रोड़, उदयपुर (राज.) 313 001

क्रमांकः एफ–1(2) रिसर्च फेलो/टीआरआई/2018–19/1423-24 दिनांकः 12-07-2018

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के परि–पत्र कमांक 18470–80 दि. 27–06–2017 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र **(TSP)** एवं सहरिया क्षेत्र के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं को रिसर्च फेलोशिप योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ओनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2018-19) लिंक पर आवेदन आंमत्रित करने, संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच उपरान्त स्वीकृति जारी करना। आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्रति प्रेषित (फारवर्ड) करने के लिए निम्नानुसार दिनांक निर्धारित की जाती है :–

जनजाति विभाग द्वारा संचालित रिसर्च फेलोशिप योजनाओं के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निर्धारित दिनांक

क्र.स	विषय वस्तु	निर्धारित दिनांक
1	योजना का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की दिनांक।	आवेदन प्रारम्भ हो चुका है।
2	विद्यार्थियों के द्वारा योजनाओ हेतु पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की दिनांक।	20 अगस्त, 2018
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आवेदन–पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन–पत्र को (यदि कोई हो तो) विद्यार्थियों को प्रति–प्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अन्तिम दिनांक।	15 सितम्बर, 2018

नवीन प्रोत्साहन योजनाओं 2018–19 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश –

1. योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा, जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद आदि।
3. आय घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनवाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता जीवित होने की स्थिति में उनका स्वयं का/माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति मे अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण पत्र स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

4. विद्यार्थियों से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आवेदक के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक आवेदक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन आवेदक स्वयं द्वारा करवाया जाना आवश्यक होगा।

5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि अंकित करवाना अनिवार्य होगा।

6. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम 7 (सात) दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी 7 (सात) दिवस में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

7. <u>अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों हेतु रिसर्च फेलोशिप योजना अंतर्गत आवश्यक शर्तें</u> :–

- अभ्यार्थी को कम से कम 50 प्रतिशत के साथ राजस्थान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात्तकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिये।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सामाजिक उपक्रम/स्थानीय निकाय से वेतन/परिलाभ प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगें।
- किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृति/अध्ययनवृति प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगें।

<u>आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन करें :–</u>

- अनुसूचित जनजाति का प्रमाण – पत्र (स्व प्रमाणित)।
- अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया प्रोजेक्ट क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)।
- शैक्षणिक योग्यताओं की प्रमाणित अंक तालिकाएँ एवं प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित) जो छः माह से पुराना न हों।
- विश्वविद्यालय में Ph.D. हेतु पंजीकरण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- शोध विषय की रूपरेखा (सिनाप्सीज) (शोध पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित)।
- सेवारत न होने एवं अन्य छात्रवृति/अध्ययनवृति प्राप्त न करने का घोषणा पत्र।

(दिनेश चन्द्र जैन)
निदेशक,
टीआरआई, उदयपुर